सत्यमेव जयते
राजस्थान-सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर (भू.अ.) सिरोही

क्रमांक / भू.अ. / स्थापन / 2019 / 137 दिनांक 15 जनवरी–2019

आदेश

राजस्थान भू–राजस्व (भू.अ.) नियम 1957 के नियम 4 एवं तत्पश्चात समय–समय पर जारी अधिसूचना / निर्देशो / परिपत्रों के अन्तर्गत सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगी परीक्षा 2015 में चयनित निम्नांकित अभियार्थियों का 2 वर्ष के लिये प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में पटवारी के पद पर नियुक्ति **दिनांक 21–01–2019** से दी जाती है। इन्हे राज. सरकार एवं वित्त विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में रूपये 14,600/– प्रतिमाह नियत पारिश्रमिक (Fixed-Remuneration) देय होगा। परिवीक्षाकाल सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर पटवारी के पद पर नियमित रूप से राजस्थान सिविल सर्विस(रिवाईज्ड पे) रूल्स 2017 के तहत पे–मेट्रिक्स L–5 सेल नं. 1 पर रूपये 20,800/– एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होगें।

S No	MERIT NO	RNO	SEL CTG	HRZ RES	NAME	FATHER NAME	D O B	TSP/ NTSP
1	1670	204271	GENM		RICHHPAL SINGH RATHORE	NARPAT SINGH	20-02-1991	NTSP
2	1838	125926	GENM		SUKHDEV PUROHIT	VEERA RAM	04-09-1990	NTSP
3	12147	101686	OBCF		SHANEHA LATA	KHILLOO RAM YADAV	06-12-1994	NTSP
4	2059	114008	OBCM		MEGHA RAM CHOUDHARY	KANA RAM CHOUDHARY	05-09-1989	NTSP
5	2074	160793	OBCM		RAM AWATAR	HOMA RAM	13-03-1997	NTSP
6	2097	149966	OBCM		HANUMANA RAM	MANGI LAL	01-07-1996	NTSP
7	10256	211293	SCM		NANDU RAM	RAM NATH	05-07-1992	NTSP
8	15932	200439	STM		RAJENDRA MEENA	MANNA LAL MEENA	03-04-1992	NTSP
9	3439	302499	STF		MANU NINAMA	KISHAN NINAMA	10-03-1993	TSP

अन्तिम रूप से चयनित उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 9454/2017 देवेन्द्र सिंह मेहता बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा इस याचिका के सलग्न अन्य याचिकाओं, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8402/2017 मनीष चौधरी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8454/2017 श्रवण स्वामी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8829/2017 ओम प्रकाश खावा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 15538/2017 मोहिनी बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 11711/2017 मनीष विश्नोई बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8263/2017 रोहिताश्व बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 7870/2017 भोमाराम बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 13151/2017 पूनम कंवर बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8110/2017 शंकरलाल डूडी बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 18032/2017, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 16106/2017, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 17676/2017, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 18049/2017, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 18326/2017, 10360/2017, 9735/2017, 10549/2017, 12009/2017, 11875/2017, 11874/2017, 11788/2017, 11878/2017, 11881/2017, 11877/2017, 11876/2017, 11879/2017, 8402/2017, 8413/2017, 8133/2017, 12552/2017, 12551/2017, 10690/2017, 11538/2017, 15109/2017 के निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

नियुक्ति आदेश जारी हाने के पश्चात एक माह में इस कार्यालय में उपस्थित नहीं होने पर सम्बंधित अभ्यार्थी का चयन एवं प्रशिक्षु पटवारी का दिया गया नियुक्ति आदेश स्वत ही निरस्त माना जायेगा। पटवार प्रशिक्षण के उपरान्त आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने, परिविक्षाकाल के दौरान कार्य असन्तोषजनक पाये, आचरण ठीक नहीं होने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी। पुलिस विभाग द्वारी चरीत्र सत्यापन रिपोर्ट प्रतिकुल पाई जाने पर सम्बंधित अभ्यर्थी का नियुक्ति आदेश बिना किसी नोटिस के निरस्त कर दिया जायेगा।

इस संबंध में निम्नुसार निर्देश दिये जाते है:–

1. उक्त चयनित अभ्यर्थियों को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में नियुक्ति दी जाती है। इन्हें दिनांक 21–01–2019 को इस कार्यालय में कार्यग्रहण करना है।
2. यह नियुवित राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू(लैण्ड रिकार्डस)रूल्स 1957 के नियम–4 एवं तत्पश्चात् समय–समय पर जारी अधिसूचना / निर्देशों परिपत्रों के अन्तर्गत शासित होगी एवं समय समय पर जारी किये गये निर्देश / परिपत्र लागू होगें।

2

3. चयनित अभ्यर्थियों को दिनांक 18.1.2019 तक अपने दस्तावेज सत्यापन हेतु अनिवार्य रूप से इस कार्यालय में उपस्थित आवे। निर्धारित दिनांक तक दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों सूची राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित की जायेगी ।
4. दस्तावेज सत्यापन हेतु अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र (शैक्षणिक योग्यता, जन्म दिनांक, जाति प्रमाण पत्र आदि) एवं इनकी सत्यापित प्रतिलिपि साथ लेकर आवें।
5. आप जहां निवास करते है उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/मेडिकल ज्युरिस्ट/पी.एम.ओ. से स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें।
6. सद्चरित्र का प्रमाण पत्र जो 6 माह पहले का जारी किया हुआ नहीं हो, एवं उस विश्वविद्यालय/स्कूल/कॉलेज के प्रधानाचार्य/मुख्य शिक्षा अधिकारी का जिसमें अन्तिम कक्षा में पढते थे का चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें (भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में सेवा निवृति प्रमाण पत्र जिसमें चरित्र का उल्लेख हो)
7. पटवार प्रशिक्षण दिनांक 11-02-2019 से प्रारंभ होगा, इस हेतु अलग से निर्देश जारी किये जायेगें। प्रशिक्षण हेतु शाला में जाते समय अभ्यर्थी सफेद कमीज व पेन्ट तथा सफेद रंग के जुते व मौजे साथ होना अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थियों के लिए सफेद ड्रेस सफेद रंग के जुते व मौजे साथ ले जाने है।
8. सत्र की अवधि 6 माह की होगी तथा सत्र की संपूर्ण अवधि में विभागीय परीक्षा देने हेतु 75 प्रतिशत की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस अवधि में आपको राज. सरकार द्वारा निर्धारित नियत पारिश्रमिक देय होगा।
9. राज. सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रशिक्षाणार्थियों को इस आशय का अनुबंध पत्र (बॉंड) हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा कि प्रशिक्षण उपरान्त राज्य सरकार के अधीन पटवारी के पद पर कम से कम तीन वर्ष की सेवाएं अर्पण करनी होगी अन्यथा प्रशिक्षण पर खर्च की गई समस्त धनराशि राज्य सरकार को लौटानी होगी।
10. प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण होने व 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण होने पर आपको नियमानुसार पटवारी के पद की सेवाएं नियमानुसार नियमित करने की कार्रवाई की जा सकेगी। यदि कोई प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के पश्चात होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता है। तो उसकी सेवा नियमित नही की जायेगी।
11. प्रशिक्षण अवधि में कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
12. प्रशिक्षण शाला में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नही होने पर अभ्यर्थी को अपने रहने की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर करनी होगी।
13. प्रशिक्षण हेतु आपकी पात्रता पुलिस विभाग से चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में सदचरित्र होने पर ही समझी जायेगी। पुलिस विभाग से चरित्र सत्यापन प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

15-01-2019

जिला कलक्टर(भू.अ.)सिरोही
दिनांक 15 जनवरी-2019

कमांक/भू.अ./स्थापन/2019/138-151

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव पालनार्थ :-

1. श्रीमान निबंधक महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
2. निदेशक महोदय राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर
3. सम्भागीय आयुक्त महोदय, जोधपुर
4. उप निदेशक, डीओआईटी, सिरोही(अटल सेवा केन्द्र) को भेजकर लेख है कि सिरोही जिले की वेबसाईट पर अपलोड करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी सिरोही को भेजकर लेख है कि सूचना समाचार पत्रों में निःशुल्क छपवाने की व्यवस्था करावें।
6. श्री/श्रीमती/सुश्री..
7. निजी पत्रावली श्री/श्रीमती/सुश्री
8. गार्ड पत्रावली

15-01-2019

जिला कलक्टर(भू.अ.)सिरोही